(334) (210)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

निग० 6013 /2018/ रीवा/भू-रा०

सतोष कुमार तनय श्री रामखेलावन गौतम उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम गोरा थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म०प्र० --- निगरानीकर्ता

बनाम

1-श्रीमती सविता सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह उम्र 45 वर्ष

2- संकल्प सिंह तनय श्री नागेन्द्र सिंह उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक बाबा श्री भैयालाल सिंह तनय रामसखा सिंह दोनो निवासी ग्राम अमरा पो० कपसा तह० सेमरिया जिला रीवा म०प्र०

3- रामखेलावन गौतम तनय श्री छोटेराम ब्रा० उम्र 75 वर्ष सा० अमरा पो० कपसा तहसील सेमरिया जिला रीवा म०प्र० --- गैर निगरानीकर्ता

अधि० श्री मनीष सोहतौरा द्वारा पेश। 03-10-18

निगरानी विरुद्ध निर्णय प्र०क्र० 43/अपील/14-15 न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा आदेश दिनांक 17-7-2018

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

निगरानी विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959ई०

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

=============

1:- यह कि भूमि सं० 249, 268, 271, 272, 285, 286, मृतक रामसजीवन के हक व हिस्सा की भूमि थी। जिनके लावल्द पौत्र थे जिन्होने अपने जीवन काल मे सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर अपनी स्व अर्जित भूमियो को दिनांक 30-8-2002 को जरिये वसीयत आवेदक/निगरानीकर्ता के नाम निष्पादित कराया गया तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमियो पर आवेदक का कब्जा दखल व निस्तार था लेकिन अनावेदक रामखेलावन पिता श्री छोटेलाल ब्रा० द्वारा उक्त भूमियो को चोरी छिपे तौर पर अपने नाम करा लिया जिसकी अपील आवेदक द्वारा

क्रमश: 2...

(210)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 6013/2018/ग्व0 जिला– रीवा

संतोष कुमार विरूद्ध श्रीमती सविता सिंह

(1)	(2)	(3)
16-1-19 –	1. आवेदक की ओर से श्री मनीष सोडगौरा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 43/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 17.07.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.10.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	